

प्रेस नोट दिनांक 03.10.2024

थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

□ पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना कन्दवा पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही।

□ थाना कन्दवा पुलिस द्वारा गौ तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

□ अपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आतंक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है, गोवंश की तस्करी जैसे अपराध कारित करते हैं।

चन्दौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री हरिनारायण पटेल थाना कन्दवा जनपद चन्दौली द्वारा एवं थाना कन्दवा पर गठित टीम द्वारा अपराधियों एवं गोवंश तस्करों के विरुद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री हरिनारायण पटेल द्वारा थाना क्षेत्र में पशु तस्करी करने वाले अभियुक्तगण 1-रामजीत सिंह यादव पुत्र दयाराम सिंह यादव निवासी ग्राम चक्काबांध थाना जमानिया जनपद गाजीपुर उम्र 46 वर्ष 2- सुनील यादव पुत्र शंकर यादव निवासी ग्राम इमिलिया थाना धीना जनपद चन्दौली उम्र 25 वर्ष के विरुद्ध थाना कन्दवा जनपद चन्दौली पर दिनांक 02.10.2024 को मु0अ0स0 43/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तगण का विवरण-

गैंगलीडर-

1-रामजीत सिंह यादव पुत्र दयाराम सिंह यादव निवासी ग्राम चक्काबांध थाना जमानिया जनपद गाजीपुर उम्र 46 वर्ष

गैंग सदस्य-

2- सुनील यादव पुत्र शंकर यादव निवासी ग्राम इमिलिया थाना धीना जनपद चन्दौली उम्र 25 वर्ष

गैंग लीडर का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 99/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0 अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 43/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986

गैंग सदस्य का अपराधिक इतिहास विवरण –

1. मु0अ0सं0 99/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0 अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 43/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986

कार्यवाही करने वाली टीम –

1. हरिनारायण पटेल प्रभारी निरीक्षक थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
2. हे0का0 हरिशंकर यादव थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
3. हे0का0 भरत सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक-03.10.2024

थाना सकलडीहा जनपद चंदौली

□थाना सकलडीहा पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक के साथ छिनैती की घटना को अंजाम देने वाला वांछित व 20 हजार का इनामिया 01 अभियुक्त को छिनैती के रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के गहन पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह व प्रभारी स्वाट/सर्विलांस उ0नि0 आशीष मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना सकलडीहा पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2024 धारा 310(2)/317(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित /इनामिया अभियुक्त दीपक यादव उर्फ बागी पुत्र स्व0 भोला यादव निवासी ग्राम नोनार तुलसी आश्रम थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को आज दिनांक 03.10.2024 समय 06.50 बजे सुबह नोनार तुलसी आश्रम के पास स्थित अम्बेडकर मूर्ति के पास से गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा मे लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व की घटना- दिनांक 21.9.2024 को थाना सकलडीहा अंतर्गत सुनील कुमार पुत्र रामजतन प्रजापति निवासी ग्राम फल्ली थाना सकलडीहा जनपद चंदौली अपने मित्र सेवालाल के साथ यूनियन बैंक पौनी से चार लाख रूपए निकालकर अपने ग्राहक सेवा केंद्र तुलसी आश्रम लोनार लेकर जा रहे थे। उसी समय विपरीत दिशा से बाइक से आ रहे तीन व्यक्ति थाना सकलडीहा अन्तर्गत नागनपुर नहर के पास सुनील कुमार का पैसो वाला बैग छीनकर 02 व्यक्ति बाइक से व 01 व्यक्ति पैदल भाग गए थे। पूर्व में छिनैती की घटना को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व 02 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था।उपरोक्त अभियुक्त दीपक यादव उर्फ बागी पुत्र स्व0 भोला यादव निवासी ग्राम नोनार तुलसी आश्रम थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली फरार चल रहा था।

पूछताछ विवरण- दिनांक 21.09.2024 को सुनील कुमार पुत्र रामजतन प्रजापति निवासी ग्राम फल्ली थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली जो नोनार तुलसी आश्रम बाजार में ग्राहक सेवा केन्द्र चलाते है लेन-देन हेतु पैसा निकालने के लिए पौनी यूनियन बैंक गये थे जिनका रुपया लूटने के नियत से मै अपने सह अभियुक्तगण लालू यादव ,आदर्श यादव ,सुहेल खान,व अमित यादव के साथ तुलसी आश्रम नोनार स्थित अस्पताल के बगल में योजना बनाया था तथा दिनांक 21.09.2024 को समय 15.45 बजे के लगभग मै, लालू यादव और आदर्श यादव असलहे के साथ हिरो HF Deluxe मोटरसायकिल पर सवार होकर सुनील कुमार उपरोक्त के बैंक से पैसा लेकर चलने पर सुहेल खान के सूचना देने के पश्चात नागनपुर नहर पटरी के पास स्थित पेड़ के बगल में सुनील कुमार के मोटर सायकिल से आते समय सामने से उसकी मोटर सायकिल रोकते हुए असलहा दिखाकर रुपयो से भरा बैग लूट लिया था अमित यादव वही नागनपुर पुलिसिया पर खड़ा होकर आने जाने वालो पर नजर रखा था । जिसके बाद हम लोग बनारस आकर कैण्ट रेलवे स्टेशन के बगल में एकत्रित हुए जहां पर 60-60 हजार रुपये लालू यादव ,आदर्श यादव व सुहेल खान व अमित यादव को दे दिया गया व शेष रुपया कुल 1,53000 रुपये मै अपने साथ लेकर दिल्ली चला गया और इधर उधर घूमता रहा तथा कल रात मे मै अपने घर आया था और

आज पुनः ट्रेन पकड़ने के फिराक में था कि आप लोगो ने पकड़ लिया I मैने अपने हिस्से के पैसे से कपडा व अन्य समान की खरीदारी किया था तथा कुछ रुपये खाने पीने में खर्च हो गये थे। शेष यही कुल 92,200 रुपये बचा है जो मेरे पास उसी लूट के रुपये है।

नाम व पता अभियुक्तगण-

1. दीपक यादव उर्फ बागी पुत्र स्व० भोला यादव निवासी ग्राम नोनार तुलसी आश्रम थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. छिनैती का 92,200/- रुपया नगद बरामद
2. एक मोबाइल रेडमी कम्पनी (IMEI 864009073189769, 864009073189777)

आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०स० 170 धारा 147/323/427/452/504 भादवि व 3(1) द, ध एससी एसटी एक्ट थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
2. मु०अ०स० 165/2021 धारा 147/323/427/452/504/506 भादवि थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
3. मु०अ०स० 175/2022 धारा 323/325/427/504/506 भादवि थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
4. मु०अ०स० 178/2022 धारा 147/148/149/323/332/336/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
5. मु०अ०स० 09/2023 धारा 323/325/427/504/506 भादवि थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
6. मु०अ०स० 105/2024 धारा 155(2)/351(22)/352 बीएनएस थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
7. मु०अ०स० 108/2024 धारा 126(2)/269(बी)/3351(3) बीएनएस थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
8. मु०अ०स० 152/2024 धारा 115(2)/324(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
9. मु०अ०स० 157/2024 धारा 310(2) /317(3) बीएनएस थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

बरामदगी एवं गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

थाना सकलडीहा पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह

उ0नि0 विजय राज चौकी प्रभारी नई बाजार

उ0नि0 राणा प्रताप यादव

का0 गौरव पटेल

का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव

का0 रणविजय

का0 नीतीश कुमार

स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम चन्दौली

उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट/सर्विलांस चन्दौली

हे0का0 अरविन्द भारद्वाज (स्वाट टीम)

हे0का0 राणा प्रताप सिंह (स्वाट टीम)

हे0का0 आनन्द सिंह (स्वाट टीम)

हे0का0 रामानन्द (स्वाट टीम)

हे0का0 विजेन्द्र कुमार सिंह (स्वाट टीम)

हे0का0 राजेश कुमार यादव (स्वाट टीम)

हे0का0 580 प्रेम प्रकाश यादव (सर्विलान्स टीम)

का0 712 अजीत कुमार सिंह (सर्विलान्स टीम)

का0 मनीष कुमार (सर्विलान्स टीम)

का0 गणेश तिवारी (सर्विलान्स टीम)

का0 1486 संदीप कुमार (सर्विलान्स टीम)

का0 732 मनोज कुमार यादव (सर्विलान्स टीम)

प्रेस नोट दिनांक-01.10.2024

(आपरेशन कन्विकशन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

□ मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जूडि)/एफटीसी जनपद चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1500₹ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 17.04.1999 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मो०हमीद पुत्र सलामत निवासी सिकटिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 123/1999 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विपीन कुमार (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे०का०राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-03.10.2024 को पीठासीन सुश्री नूतन (सिविल जज (जूडि)/एफटीसी जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.मो०हमीद पुत्र सलामत निवासी सिकटिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1500₹ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-01.10.2024

(आपरेशन कन्विकशन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जूडि)/एफटीसी जनपद चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 06.04.2002 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सगीर अहमद पुत्र मुन्नू निवासी चकमदा थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज के विरुद्ध अपराध संख्या- 90/2002 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विपीन कुमार (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार का0 राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-03.10.2024 को पीठासीन सुश्री नूतन (सिविल जज (जूडि)/एफटीसी जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.सगीर अहमद पुत्र मुन्नू निवासी चकमदा थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-03.10.2024

(आपरेशन कन्विकशन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जूडि)/एफटीसी जनपद चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 14.05.2005 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सूरज प्रसाद पुत्र रामदास बिन्द निवासी अरंगी थाना धीना जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 42/2005 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विपीन कुमार (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-03.10.2024 को पीठासीन सुश्री नूतन (सिविल जज (जूडि)/एफटीसी जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.सूरज प्रसाद पुत्र रामदास बिन्द निवासी अरंगी थाना धीना जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।